समक्ष एस. जे. वज़ीफदार, मुख्य न्यायाधीश और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, न्यायमूर्ति

हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता

बनाम

मेसर्स लिमोफिट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य-उत्तरदाता

2010 का सी डब्ल्यू पी नंबर 6175

8 मई, 2017

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 226,227-हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973, धारा 39 (2) 39 (7) और 40 (2)-पुनरीक्षण आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार अपील के अधिकार को नहीं छीनता है अधिनियम की धारा 37 (6) के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध अधिरोपित दंड-अधिनियम की धारा 39 (1) (क) के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा पसंद की गई अपील अनुमत-याचिकाकर्ता द्वारा अपील में चुनौती दिए गए आदेश को अनुरक्षण के आधार पर निपटाया गया-धारा 41 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन भी खारिज कर दिया गया - आयोजित, धारा 39 (2) केवल निर्धारिती के पक्ष में अपील का अधिकार प्रदान नहीं करती है-इसके अलावा, केवल पुनरीक्षण की शक्ति का अस्तित्व धारा 40 के तहत इसका मतलब यह नहीं है कि अपील का कोई अधिकार नहीं है-अपील का अधिकार संशोधन यू/एस 40 (2) में पारित आदेश के खिलाफ धारा 39 (7) के तहत अपील का अधिकार नहीं छीनता है धारा 39 (2) के तहत-याचिका की अनुमति दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या हरियाणा राज्य धारा 39 के तहत अपील दायर करने का हकदार है (2). हमारी राय में, यह है। धारा 39 (2) केवल निर्धारिती के पक्ष में अपील का अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह किसी विशेष व्यक्ति या पक्ष को अपील करने के अधिकार को सीमित नहीं करता है। अधिनियम की योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें धारा 39 की उप-धारा (2) में इस प्रभाव की सीमा को पढ़ने के लिए राजी करता है। यदि विधानमंडल का इरादा निर्धारिती के अपील के अधिकार को सीमित करने का था, तो उसने ऐसा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया होगा। हम ऐसे आशय को धारा 39 की उपधारा (2) में भी नहीं पढ़ते हैं।

(पैरा 5)

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 40 के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति का केवल अस्तित्व का तात्पर्य यह नहीं है कि अपील का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि धारा 40 (2) के तहत पुनरीक्षण में पारित आदेश के खिलाफ धारा 39 (7) के तहत अपील का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को धारा 39 के तहत अपील का अधिकार नहीं है(2). जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, पुनरीक्षण की शक्ति अपील करने के अधिकार से अलग और अलग है। अतः, यह इस प्रकार है कि पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार अपील के अधिकार को नहीं छीनता है जो अन्यथा अधिनियम द्वारा प्रदत्त है।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से ममता सिंगला तलवार, डीएजी, हरियाणा

प्रतिवादियों के वकील के एल गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ संदीप गोयल

एस. जे. वज़ीफदार, मुख्य न्यायाधीश (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 39 (2) के अधीन उनकी अपील को विचारणीय न होने के रूप में खारिज करने वाले अधिकरण के दिनांक 12.08.2005 के आदेश और उनकी पुनरीक्षण के लिए उनके आवेदन को खारिज करने वाले दिनांक 30.11.2007 के आदेश को चुनौती दी है।

(2) शामिल सीमित प्रश्न को देखते हुए, तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक नहीं है। केवल कुछ तथ्यों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है।

सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण (एईटीओ, पंचकूला) ने दिनांक 30.12.1998 के एक आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 37 (6) के तहत 65,500/- रुपये का जुर्माना लगाया। यह आदेश याचिकाकर्ता के वाहन को कथित रूप से आवश्यक दस्तावेजों के बिना उत्तरदाताओं/करदाताओं के परिसर में उतारे जाने के कारण पारित किया गया था। दस्तावेज़ दूसरे पक्ष के नाम पर पाए गए थे। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया कि माल आवश्यक दस्तावेजों के बिना उत्तरदाताओं/निर्धारिती के परिसर में था और इसलिए, खेप को आवश्यक दस्तावेजों के बिना माना गया था।

(3) प्रतिवादियों/करदाताओं ने अधिनियम की धारा 39 (1) (ए) के तहत संयुक्त आबकारी और कराधान आयुक्त (जेईटीसी) के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे दिनांक 30.05.2000 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। ए ई टी ओ के आदेश को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने जे. ई. टी. सी. के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जिसका निपटान दिनांक 12.08.2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपील विचारणीय नहीं थी। याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.08.2005 के आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 41 के तहत समीक्षा के लिए आवेदन दायर किया। यह आवेदन दिनांक 30.11.2007 के आक्षेपित आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था।

(4) अधिनियम की धारा 39 और 40 निम्नानुसार हैः-"अध्याय-VII आवेदन, संशोधन, समीक्षा और वापसी।

धारा-39 [अपील]

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की धारा 40 के अधीन पारित आदेश सहित प्रत्येक मूल आदेश से अपील होगी;-(क) यदि आदेश किसी निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है, तो चेक-पोस्ट या अवरोधक के प्रभारी अधिकारी या उप-अधिकारी और कराधान आयुक्त के पद से नीचे के अधिकारी, उप-आबकारी और कराधान आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी को जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे; (ख) यदि आदेश उप-आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा किया गया है, या कोई अन्य

अधिकारी जो उप-आबकारी और कराधान आयुक्त के पद से कम नहीं है, आयुक्त या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी, अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकते हैं; (ग) यदि आदेश आयुक्त द्वारा न्यायाधिकरण को दिया गया है।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उप आबकारी और कराधान आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा या उस उपधारा के खंड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त या अधिकारी द्वारा अपील में पारित आदेश अधिकरण को आगे अपील योग्य होगा।

(3) अपीलीय प्राधिकरण पहली बार किसी भी अपील, किसी भी खाते, रजिस्टर, रिकॉर्ड या दस्तावेज़ में किसी भी डीलर की ओर से साक्ष्य प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, वह मानता है कि ऐसा खाता रजिस्टर, रिकॉर्ड या दस्तावेज़ वास्तविक हैं और नीचे दिए गए प्राधिकरण के समक्ष इसे पेश करने में विफलता डीलर के नियंत्रण से परे कारणों से थी।

(4) उपधारा (2) के अधीन अपील पर अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

(5) किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध अपील किए गए आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर यह दायर नहीं किया जाता है और अपीलीय प्राधिकरण का समाधान नहीं होता है कि निर्धारित कर की राशि और जुर्माना और ब्याज, यदि कोई है, जो व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है, का भुगतान कर दिया गया है; बशर्ते कि उक्त प्राधिकरण का यदि समाधान हो कि वह व्यक्ति निर्धारित कर की पूरी राशि, या लगाया गया जुर्माना, या देय ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो वह अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार की गई कर और ब्याज की राशि का भुगतान लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों से कर सकता है, अपील पर विचार कर सकता है और अपील प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए निर्धारित तरीके से बैंक गारंटी या पर्याप्त प्रतिभूति प्रदान करने के अधीन शेष राशि की वसूली पर रोक लगा सकता है। परन्तु यह और कि किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी को संप्रेषित किया जाना है, साठ दिनों की अवधि अपीलार्थी द्वारा आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से प्रारंभ होगी और इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में व्यतीत समय को साठ दिनों की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

(6) अधिकरण द्वारा धारा 4 की उपधारा 10 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए और प्रक्रिया के ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो अधिकरण से भिन्न किसी अपीलीय प्राधिकारी के संबंध में विहित किए जाएं, कोई अपीलीय प्राधिकारी अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह न्यायसंगत और उचित समझे, जिसमें इस अधिनियम के अधीन कर या जुर्माने या ब्याज या सभी की राशि को बढ़ाने वाला आदेश भी शामिल है।

(7) एक निर्धारण प्राधिकारी अधिकरण के समक्ष अपील में उस अधिकारी के आदेश को चुनौती दे सकता है, जिसे राज्य सरकार ने धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन आयुक्त की शक्तियां प्रदान की हैं।

(नियम 55 से 58 और 61 देखें)

धारा 40

[संशोधन]

(1) आयुक्त अपने प्रस्ताव पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाये गए किसी मामले का अभिलेख उसकी या अधिकरण से भिन्न किसी निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी की सहायता के लिए, किसी कार्यवाही की वैधता या औचित्य या उसमें किए गए किसी आदेश के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए मंगवा सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझेः

बशर्ते कि आदेश की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी आदेश को इस प्रकार संशोधित नहीं किया जाएगाः

बशर्ते कि अवधि की उपर्युक्त सीमा वहां लागू नहीं होगी जहां समान मामले में आदेश न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप संशोधित किया जाता हैः

बशर्ते कि निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को इस उप-धारा के तहत पुनरीक्षण शक्तियों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रदान कर सकती है।

3. इस धारा के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है।

(देखें नियम 60) "

(5)हमारे विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या हरियाणा राज्य धारा 39 (2) के तहत अपील दायर करने का हकदार है। हमारी राय में, यह है। धारा 39 (2) केवल निर्धारिती के पक्ष में अपील का अधिकार प्रदान नहीं करती है। यह किसी विशेष व्यक्ति या पक्ष को अपील करने के अधिकार को सीमित नहीं करता है। अधिनियम की योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें धारा 39 की उप-धारा (2) में इस प्रभाव की सीमा को पढ़ने के लिए राजी करता है। यदि विधानमंडल का इरादा निर्धारिती के अपील के अधिकार को सीमित करने का था, तो उसने ऐसा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया होगा। हम ऐसे आशय को धारा 39 की उपधारा (2) में भी नहीं पढ़ते हैं।

(6) अधिकरण दोनों आक्षेपित आदेशों में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपील धारा 39 (7) को धारा 40 के साथ पढ़कर विचारणीय नहीं थी। दिनांक 12.08.2005 के मुख्य आदेश में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ए. ई. टी. सी. धारा 40 के अधीन जे. ई. टी. सी. के आदेश को संशोधित करने का कार्य कर सकता है। (1).यह पाया गया कि विधानमंडल ने राज्य के कहने पर उस आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान नहीं किया था जिसे धारा 40 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण में ठीक किया जा सकता था (1). समीक्षा आवेदन पर आदेश द्वारा न्यायाधिकरण ने कहा कि वह केवल इस बात से संबंधित

है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा पारित मुख्य आदेश के सामने कोई अनियमितता या अनुचितता या मेरी हिस्सेदारी स्पष्ट थी। यह पाया गया कि अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट था कि केवल धारा 39 (7) के तहत ही राज्य को पुनरीक्षण प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की शक्ति है और चूंकि इसके खिलाफ अपील किया गया आदेश पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया था, इसलिए राज्य को जे. ई. टी. सी. के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

(7) हम अधिकरण के दोनों आदेशों में अपनाए गए तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। धारा 40 (1) आयुक्त को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है। आयुक्त को न्यायाधिकरण के अलावा किसी अन्य निर्धारण प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा लंबित या निपटाए गए किसी भी मामले का रिकॉर्ड मंगाने का अधिकार है। तथापि, यह धारा 39 (2) द्वारा प्रदत्त अपील के अधिकार से अलग और स्वतंत्र शक्ति है।धारा 40 के तहत पुनरीक्षण की शक्ति का मात्र अस्तित्व यह नहीं दर्शाता है कि अपील का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि धारा 40 (2) के तहत पुनरीक्षण में पारित आदेश के खिलाफ धारा 39 (7) के तहत अपील का अधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को धारा 39 (2) के तहत अपील का अधिकार नहीं है जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, पुनरीक्षण की शक्ति अपील करने के अधिकार से अलग और अलग है। अतः, यह इस प्रकार है कि पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार अपील के अधिकार को नहीं छीनता है जो अन्यथा अधिनियम द्वारा प्रदत्त है।

(8) इन परिस्थितियों में याचिका की अनुमति दी जाती है। न्यायाधिकरण के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए बहाल की जाएगी और गुण-दोष के आधार पर उसका निपटारा किया जाएगा।